I 'a *yield (qjha) of VL Dhan 163 in Co-ordin* *(over the years)*

*2ted U.V.T, 4 {Hills)*

| | 1984 (3)* | 1985 (4) | 1986 (4) | Mean | % |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 163-2-2-1-3 | 2667 | 25 68 | 2208 22- | 24- 81 | |
| Bala (Check) | 20.61 | 02 | 22- 52 | 14-23% 21.72 | |

•No. of trials indicated in the parenthesis.

**लेखकों/कवियों को पुरस्कार**

***299. श्री राम नरेश यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लेखकों कवियों को अच्छी पाण्डुलिपियां लिखने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु उन्हे "भारतेन्दु" पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन पुरस्कारों की रकम बढ़ाने तथा साधारण जनता को अच्छी प्रकाशन सामग्री सुलभ कराने हेतु पुस्तक गाड़ियां की व्यव्यस्था करने का विचार रखती है और यदि हाँ, तो, इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा क्या है ; और

(ग) मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिये किये जाने वाले अन्य उपायों का ब्योरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत):** (क) जी,हां । हिन्दी में जनसंचार की विभिन्न विधाओं में रचनात्मक और मूल लेखन को प्रोत्साहन देने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार" योजना प्रारम्भ की है ।

(ख) जी हां । पुरस्कार राशि को बढ़ाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । पुस्तक गाड़ियां प्राप्त करने की एक स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है और इसको आंशिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है ।

(ग) आकाशवाणी नाटकों की दो वर्षों में एक बार प्रतियोगिता आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है ताकि आकाशवाणी नाटकों के लिये मूल लेखन को प्रोत्साहन मिल सके ।

**Payment of screening charges fori Newsteels by the Theatre Owners**

*300. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING-be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Theatre owners have to pay for screening the Newsreels provided by Government; and

(b) if *so,* what are the reasons for asking the Theatre owners to pay for screening the message of Government?

THE MINISTER OP PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L,. BHAGAT): (a) and (b) Under the Cinemas (Regulation) Acts of different State Governments, screening of approved films upto a maximum length of 2000 ft. in cinema houses is compulsory in each show. This is, therefore, a statutory obligation. This is also incorporated as a condition in the licence issued to cinema houses and in case of noncompliance, the